फर्द अहकाम

छीतर बनाम V/S मालीराम वगैरह

प्रार्थना पत्र

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

क्रम संख्या 2/2018

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		25-5-18 वकील उभयपक्ष उप। मूलवाद व प्रस्तुत प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया। मूलवाद में अप्रार्थीया सं. 2 व 5 की तामील जरिये ~~इश्ति~~ इश्तिहार समनों से करवायी गयी है इश्तिहार ~~की~~ तामील की जाकर मूलवाद में धारणा की जाकर मूल वाद में अप्रार्थीया सं. 2 व 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है अतः प्रस्तुत प्रा०पत्र में भी अप्रार्थी सं. 2,5 को बार बार आवाज लगवायी जाकर अनुपस्थित रहे अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते पेश होने जवाबदावा जवाब प्रा०पत्र दिनांक 07-5-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	मालीराम
		07.05.2018 प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बजरंगपुरा में मजमा ए-आम वास्ते सुनवाई पेश हुई। प्रार्थी की तरफ से उसका पुत्र जगदीश एवं अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित हुए। राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने की समझाईश की गई, राजीनामा पेश नहीं किया गया। पूर्व में अप्रार्थी सं. 3 का पति तारीख पेशी 17.01.2018 को उपस्थित हुआ अर्थात अप्रार्थी सं. 3 को प्रकरण की पूर्ण जानकारी है।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

धीरज V/S बनाम कालीराम आदि

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या 2/2018 प्रार्थना पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.05.18	अप्रार्थी सं. 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया, न ही आगामी तारीख सुनवाई में उपस्थित हुए, अतः पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है तथा अप्रार्थी सं. 2 व 4 भी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, जिनके खिलाफ भी पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। ग्राम बसेरगापुरा के हाल खसरा 1287/0.70, 1288/0.51 हैक्टेयर के हिस्सा 19/102 दर हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रार्थी के नाम तथा हिस्सा 102/121 दर हिस्सा 1/2 की खातेदारी अप्रार्थी सं. 2 एवं शेष 1/2 भाग की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह भी कि हाल खसरा नम्बर 1290/0.13, 1291/0.11, 1292/0.36, 1294/0.83, 1298/0.08, 1300/0.75, 1302/0.40, 1303/0.60, 1306/0.56 हैक्टेयर में 1/2 भाग का खातेदार प्रार्थी तथा उक्त भूमि में से हाल खसरा नम्बर 1302/0.40, 1303/0.60 हैक्टेयर के हिस्सा 4/10 भाग का खातेदार अप्रार्थी सं. 3 तथा 1/10 भाग का खातेदार अप्रार्थी सं. 1 है। यह भी कि अप्रार्थी सं. 3 ने अपने हिस्से की भूमि को बैंक रहन कर रखा है। आराजी मुतनाजा पक्षकारान की सहखातेदारी भूमि है। प्रार्थी का मजमा-ए-आम निवेदन रहा कि अप्रार्थी	

लगा...

फर्द अहकाम

छीतर बनाम V/S मालीराम वगैरह

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

...ालय

...ा

प्रार्थनापत्र

2/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.05.18	बिना कानूनी बंटवारा कराये आराजी में कच्चा पक्का निर्माण कर आवागमन अवरुद्ध करते है तथा प्रार्थी के हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा कारित करते है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है, जिसका प्रार्थी द्वारा निश्चित समय में जवाबुल पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी का तर्क रहा कि उसके हिस्से में पंहुच तक 10 फुट रास्ता शामिल रखे जाने बाद शेष भूमि का कानूनी बंटवारा किया जाना न्यायसंगत है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की शामिल में करवायी जो बोरिंग ख.नं. 1300, 1294 में स्थित है, जिसको चलाने में प्रार्थी व उसके परिवारजन लड़ाई-झगड़ा करते है। अतः अप्रार्थी का काउन्टर क्लेम स्वीकार प्रार्थी को पाबन्द किया जावे। प्रार्थी का जवाबुल जवाब बन्द किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र मय ए.आर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का मूल वाद कानूनी बंटवारा से संबंधित है तथा उक्त पक्ष आराजी के खातेदार है। दोनो पक्षों के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढे इसके लिए दोनो पक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा से तायफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाना न्याय संगत है।	उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी ... लगातार

फर्द अहकाम

छीतर बनाम शालीग्राम वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या 2/2018 प्रार्थना पत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	07.05.18	अतः ग्राम बजरंगपुरा के खसरा नम्बर 1287, 1288, 1290, 1291, 1292, 1254 1298, 1300, 1302, 1303, 1306 के संबंध में दोनो पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि आराजी में किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण नहीं करें, हिस्सानुसार बोरिंग के उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, एक-दूसरे का रास्ता अवरुद्ध नहीं करे, मनचाही भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें। राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे। तार्फैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द रहें। निर्णय मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट दिनांक 07.05.2018 ग्राम पंचायत बजरंगपुरा में सुनाया गया। 7/5/18 पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार--2018 उपखण्ड-- विराटनगर (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

Web Copy - Not Official